



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-15.01.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- ₹0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 408/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल निवासी नेपालीबाग थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-15.01.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- ₹0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी